# कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी रामपुर।

पत्रांकः प–8/सीएफओ–पेट्रोलपम्प–01/2018 दिनाँकः जनवरी 30,2018

सेवा में,

जिलाधिकारी,

रामपुर।

विषयः ग्राम–रायपुर तहसील सदर जिला रामपुर के रामपुर शाहबाद मार्ग पर गाटा संख्या–318/1 पर इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड के किसान सेवा केन्द्र रिटेल आउटलेट विकसित किये जाने हेतु अनापत्ति दिये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भः आपका पत्रांकः 209/जे0ए0–2 तद् दिनाँक 17.12.2016

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक/सन्दर्भित अपने पत्र का अवलोकन करने की कृपा करे जिसके द्वारा प्रश्नगत प्रस्तावित स्थल पर प्रस्तावित पेट्रोल पम्प की स्थापना सम्बन्धी आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त स्थल का अद्योहस्ताक्षरी द्वारा उपलब्ध करायें गये मानचित्र के अनुसार निरीक्षण/परीक्षण किया गया, जिसका विवरण निम्नलिखित हैः–

1–प्रश्नगत स्थल के सामने रोड़ की चौडाई मानक के अनुसार है।

2–प्रश्नगत स्थल के ऊपर से कोई भी विद्युत हाईटेंशन लाईन नही गुजर रही है।

अतः प्रश्नगत स्थल पर प्रस्तावित पैट्रोलियम इकाई की स्थापना हेतु पैट्रोलियम अधिनियम–1934 एंव पैट्रोलियम नियम–1976, पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन (PESO) द्वारा स्थापित सुरक्षा नियमों के अनुसार अग्नि से सुरक्षा के सम्बन्धी प्राविधान किए जाने अनिवार्य होगें जो निम्नवत हैः–

1–45 लीटर क्षमता की 02 अदद मैकेनिकल फोम ट्राली ।

2–ए0बी0सी0 टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 10 किग्रा0 के मानक के अनुसार स्थापित कराये जायें।

3–नो स्मोकिंग बोर्ड एवं आपात कालीन टेलीफोन नम्बरों की सूची स्थापित कराया जायें।

4–बालू तथा पानी के फायर बकेट मानक के अनुसार स्थापित कराये जायें।

अतः प्रश्नगत स्थल पर प्रस्तावित पैट्रोलियम पदार्थ के निर्माण कार्य के लिए आख्या निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ निर्गत की जाती है।

1–प्रस्तावित पैट्रोल पम्प के सभी निर्माण कार्य पैट्रोलियम एक्ट–1934 एवं सम्बन्धित पेट्रोलियम रूल्स विषयक समय–समय पर यथा संशोधित विधियों एवं सत्समय प्रवत्त किसी अन्य विधि में उल्लेखित विधि के अनरूप।

2–प्रस्तावित स्थल के ऊपर से किसी प्रकार की हाई/लो टेन्शन विद्युत लाइन नही गुजारी जायेगी यदि कोई विद्युत लाईन हो तो उसे पम्प के कार्यारम्भ से पहले हटा दिया जाये।

3–प्रस्तावित स्थल पर मानचित्रों में दर्शाये गये पैट्रोलियम पदार्थो के अतिरिक्त अन्य कोई ज्वलनशील भण्डारण नही किया जायेगा ।

4–प्रस्तावित स्थल पर पैट्रोल पम्प स्थापित करने के दौरान धूम्रपान निषेध बोर्ड, अग्निशमन केन्द्र का टेलीफोन नम्बर व अग्निशमन संकेतक अंकित कराये जायेगें।

5–प्रस्तावित पैट्रोल पम्प के निर्माण के उपरान्त स्थल पर चिंगारी इत्यादि उत्पन्न करने वाले पदार्थो का प्रयोग वर्जित होगा तथा इसमें समुचित उपाय किए जायेगें।

6–प्रस्तावित स्थल पर विद्युत सुरक्षा व्यवस्था इण्यिन इलैक्ट्रिसिटी एक्ट एवं भारतीय मानक ब्यूरों के आई0एस0–1646:1982 व आई0एस0–2148:2004 तथा सम्बन्धित नियमों में निर्धारित मानकों के अनुसार कराई जानी अनिवार्य होगी।

शील कृष्ण भवन<br>प्रबन्धक (रिटेल सेल्स)<br>इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. (एम.डी.)

क्रमशः02 पर——

7–प्रस्तावित पैट्रोल पम्प निर्मित किए जाने तथा उपरोक्तानुसार प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्थाओं की स्थापना किये जाने के उपरान्त पेट्रोल पम्प आरम्भ करने से पूर्व स्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम आख्या प्राप्त करनी होगी।

अतः उपरोक्त शर्तो के अधीन ग्राम–रायपुर, तहसील सदर जिला रामपुर के अन्तर्गत इण्डियन आयल कारपोरेशन लि0 बरेली द्वारा प्रस्तावित किसान सेवा केन्द्र रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी आख्या निर्गत की जाती है, अन्यथा की स्थिति में निर्गत की जा रही आख्या स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

30/01/18
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
रामपुर।

शील कृष्ण धवन
प्रबन्धक (रिटेल सेल्स)
इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. (एम.डी.)
बरेली मंडल कार्यालय
35–ए, सिविल लाईन्स कमला नेहरू मार्ग
बरेली–243001 (उ०प्र०)